(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. PLG(A)3-3/2017-LOOSE DATED 16/04/2025 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

Government of Himachal Pradesh
Planning Department

No. PLG(A)3-3/2017-loose Dated, Shimla-2 16th April, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Joint Director, Group-A, in the Planning Department, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:-

Short title and commencement.	1.	(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh Planning Department, Joint Director, Group-A, Recruitment and Promotion Rules, 2025.
		(2)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Repeal & savings.	2.	(1)	The H.P. Planning Deptt. (State Planning Machinery) Joint Director (Class-I-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1995 notified vide this department notification No. PLG-I(A)1-6/92 dated 27th January, 1995 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh are hereby repealed.
		(2)	Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By Order

Devesh Kumar
Principal Secretary (Planning) to the
Government of Himachal Pradesh

ANNEXURE- "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JOINT DIRECTOR, GROUP-A, IN PLANNING DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH.

1	Name of post	Joint Director
2	Number of post(s)	01 (One)
3	Classification	Group-A
4	Scale of Pay	1. Pay Band for regular incumbents(s): "Level-23 of the pay matrix attached with time scale of the post as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022" 2. Emoluments for contract employee(s): Not Applicable
5	Whether ''Selection'' post or ''Non-Selection'' post	Selection
6	Age for direct recruitment	Not Applicable
7	Minimum educational and other qualifications required for direct recruit (s)	1. Essential Qualification (s): Not Applicable 2. Desirable Qualification (s): Not Applicable
8	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit (s) will apply in the case of the promotee (s)	Age : Not applicable Educational Qualification: As prescribed in Col. No. 11.
9	Period of probation, if any	Direct Recruitment: Not applicable Promotion: Not applicable
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various method:	100% by promotion, failing which by transfer/secondment:
11	In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade from which promotion/secondment/ transfer is to be made:	By promotion from amongst the Deputy Directors possessing Master's degree in Statistics or Master's degree in Economics/ Mathematics/ Commerce with Statistics from a recognized University, with three years' regular service or regular combined with continuous adhoc service,

		failing which by transfer/secondment from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale of this post from other departments of H.P. State Govt. possessing the Educational qualification of Master's degree in Economics or Master's Degree in Statistics from a recognized University.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:

The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be Ex-Servicemen **who have joined Armed Forces during the period of emergency** and recruited under Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(i) Similarly, in all cases of confirmations, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12	If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition:	(a)Departmental Promotion Committee:- As may be constituted by the Government from time to time. (b) Departmental Confirmation Committee Not applicable
13	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment	Not Applicable
15	Selection for appointment to post by direct recruitment	Not Applicable
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes /Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Every member of the Service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18	Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

****

हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

संख्याः पीएलजी(ए)3–3/2017–लूज तारीखः शिमला–2, 16 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश योजना विभाग में संयुक्त निदेशक, ग्रुप–ए, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1.	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश योजना विभाग, संयुक्त निदेशक, ग्रुप–ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025 है।
		(2)	ये नियम राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
निरसन और व्यावृत्तियॉं।	2.	(1)	इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0एल0जी0–I (ए0)1–6/92 तारीख 27 जनवरी, 1995 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, राज्य योजना तन्त्र, योजना विभाग, संयुक्त निदेशक, (वर्ग–I राजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।
		(2)	ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार
प्रधान सचिव (योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध– "क"

हिमाचल प्रदेश योजना विभाग में संयुक्त निदेशक, ग्रुप–ए, के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1	पद का नामः	संयुक्त निदेशक
2	पद (पदों) की संख्याः	1 (एक)
3	वर्गीकरणः	ग्रुप–ए
4	वेतनमानः	(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्डः "हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान (टाइम स्केल) से संलग्न पे मैट्रिक्स का लेवल स्तर–23"। (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियाँ : लागू नहीं ।
5	"चयन" पद अथवा "अचयन" पद	चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु	लागू नहीं।
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः	(क) अनिवार्य अर्हता (एं) : लागू नहीं। (ख) वांछनीय अर्हता (एं) : लागू नहीं।
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीः	आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हता(एं) : जैसी स्तंभ संख्या 11 में विहित है ।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः	(क) सीधी भर्ती : लागू नहीं। (ख) प्रोन्नति : लागू नहीं।
10	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता :	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर स्थानांतरण/सैकेण्डमैंट द्वारा ।

11	प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैण्ट / स्थानान्तरण किया जाएगा :	उप निदेशकों में से प्रोन्नति द्वारा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में निष्ठांत उपाधि या सांख्यिकी विषय सहित अर्थशास्त्र / गणित सहित वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि रखते हों और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ; ऐसा न होने पर, हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समरुप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से स्थानांतरण / सैकेण्डमैण्ट आधार पर जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में निष्ठांत उपाधि हो ।
		प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी: 1. परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे: परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी: परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे। **स्पष्टीकरण**:– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में कार्यग्रहण किया था और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ

		वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसिज)रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों। (i) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना।	(क) विभागीय प्रोन्नति समिति :– जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए। (ख) विभागीय स्थायीकरण समितिः– लागू नहीं।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	लागू नहीं।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	लागू नहीं।
16	आरक्षणः	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17	विभागीय परीक्षाः	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18	शिथिल करने की शक्तिः	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी / किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

....